संख्या-2/22(ए)/2008-स्था.(वेतन-।।)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

स्थापना प्रभाग

नई दिल्ली, 3 सितम्बर, 2008.

कार्यालय ज्ञापन

विषय : छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों का कार्यान्वयन: संगठित समूह 'क' सेवाओं के अधिकारियों की केन्द्रीय स्टाफिंग योजना के अंतर्गत केन्द्रीय सचिवालय तथा उनके मुख्यालयों में अवर सचिव, उप सचिव तथा निदेशक के रूप में नियुक्ति होने पर लागू केन्द्रीय सचिवालय (कार्यकाल पर प्रतिनियुक्ति) भत्ता तथा विशेष वेतन की दरों में संशोधन ।

सरकार द्वारा छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट स्वीकार कर लिए जाने के परिणामस्वरूप, राष्ट्रपति यह निर्णय करते हैं कि संगठित समूह 'क' सेवाओं के अधिकारियों की केन्द्रीय स्टाफिंग योजना के अंतर्गत सचिवालय में अवर सचिव/उप सचिव/निदेशक के रूप में तैनाती होने पर वे या तो अपना वेतन, लागू संशोधित वेतन बैंड और उस पद से जुड़े ग्रेड वेतन में निर्धारित करवाने के पात्र होंगे अथवा निम्नलिखित शर्तों पर अपना मूल वेतन जमा सी.डी.टी.ए. आहरित करने के पात्र होंगे :-

(क) केन्द्रीय सचिवालय में केन्द्रीय स्टाफिंग योजना के अंतर्गत अवर सचिव/उप सचिव/निदेशक के रूप में नियुक्त संगठित समूह 'क' सेवाओं के अधिकारियों को अपने संवर्ग से बाहर के पदों अर्थात् संवर्ग-बाह्य पदों पर नियुक्त के रूप में गिना जाएगा;

(ख) उनकी तैनाती निर्धारित कार्यकाल की शर्त के अध्यधीन होगी और जिसके समाप्त होने पर वे अपने मूल विभाग में अपने संवर्ग पद पर प्रत्यावर्तित (रिवर्ट) कर दिए जाएंगे;

(ग) अवर सचिव/उप सचिव/निदेशक के रूप में कार्यकाल के दौरान अधिकारियों को (कार्यकाल पर प्रतिनियुक्ति) भत्ता उनके मूल वेतन की 10 प्रतिशत की दर से 4000/- रुपये की सीमा के अध्यधीन प्रदान किया जाएगा;

(घ) सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित केन्द्रीय स्टाफिंग योजना के अंतर्गत प्रतिनियुक्ति की अवधि के लिए अधिकारियों को भत्ता दिया जाएगा ।

(ङ) केन्द्रीय सचिवालय में संयुक्त सचिवों और उससे ऊपर के पदों पर तैनात इन सेवाओं के अधिकारियों को कोई भत्ता अनुमत्य नहीं होगा ।

(च) अधिवर्षिता के पश्चात् सेवा विस्तार प्रदत्त अथवा पुनर्नियोजित अवर सचिवों/उप सचिवों/निदेशकों के पद पर तैनात संगठित ग्रुप 'क' सेवाओं के अधिकारियों को कोई भत्ता अनुमत्य नहीं होगा ।

(छ) ऐसे मामले में जहां प्रतिनियुक्ति एक निम्नतर ग्रेड वेतन के पद पर होती है, प्रतिनियुक्ति पर जा रहे अधिकारी बैंड वेतन में बिना किसी परिवर्तन के प्रतिनियुक्ति पद से सम्बद्ध ग्रेड वेतन आहरित करेगा जोकि प्रतिनियुक्ति से पूर्व धारित पद पर आहरित कर रहा था ।

संशोधित वेतन संरचना 'मूल वेतन' से तात्पर्य निर्धारित वेतन बैंड में आहरित वेतन जमा अनुप्रयोज्य ग्रेड वेतन है किन्तु इसमें कोई अन्य प्रकार का वेतन जैसे कि विशेष वेतन इत्यादि शामिल नहीं है ।

2. इन आदेशों में निर्धारित दरें संगठित समूह 'क' सेवाओं के अधिकारियों की उनके मुख्यालय में तैनाती होने पर उनको अनुज्ञेय विशेष वेतन के मामले में भी लागू होंगी ।

3. ये आदेश दिनांक 1 सितम्बर, 2008 से प्रभावी होंगे ।

4. जहां तक आदेशों का भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग के अधिकारियों पर लागू होने का सम्बन्ध है इन आदेशों को भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के परामर्श से जारी किया जाता है ।

रीता माथुर

(रीता माथुर)
निदेशक

सेवा में,

सभी मंत्रालय/विभाग (संलग्न मानक सूची के अनुसार)